

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा संख्या :- 104/2023

बंशीलाल पिता बिलासीराम हरिजन
व अन्य निवासी मण्डावरी तह०बेगू

बनाम पृथ्वीराज पिता प्रभूलाल नाई व अन्य
निवासी बेगू तहसील बेगू

वाद अ०धा० 188 राज०काश्त०अधि०

उपस्थित :- श्री मुरलीधर शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

आदेश दिनांक :- 16.09.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्य.प्र.संहिता

दावा पत्रावली में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में निवेदन इस प्रकार से किया गया कि उक्त वाद वास्ते सुखाधिकार पूर्ण मार्ग के अवरोध को रोकने की सहायता के लिए न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया हुआ है।

यह कि सुखाधिकार के आधार पर चाही गयी सहायता के लिए वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। सुखाधिकार के आधार पर प्रस्तुत वाद न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिससे वाद वादी न्यायालय श्रीमान में चलने योग्य नहीं है।

यह कि जिस रास्ता के लिए वादी ने वाद प्रस्तुत किया है उस रास्ता पर स्वयं वादी ने ही अतिक्रमण कर रक्खा है एवं अतिक्रमण की कार्यवाही से बचने के लिए यह वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो वादाधिकार एवं वाद कारण के अभाव में वाद वादी निरस्त योग्य है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राकार से बाहर का होने से वाद अधिकार व वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद वादी इसी प्रकम पर निरस्त यिका जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र वाद पत्र में प्रस्तुत होने पर उसकी प्रति अधिवक्ता वादी को दी गई जिन्होंने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे ही बहस किये जाने का निवेदन न्यायालय के समक्ष किया है। अधिवक्ता वादी द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई।

बहस में अधिवक्ता प्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि न्यायालय श्रीमान आपमें सुखाधिकार का दावा विचारणीय नहीं है। यदि वादी को रास्ता कायम कराना है तो उसके लिए प्रावधान 251 के तहत बने हुए है। वादी ने स्वयं बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है जिससे बचने के लिए वह यह दावा लाया है। सुखाधिकार के वाद पत्र को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः निवेदन है कि वादपत्र क्षेत्राधिकार से बाहर का होने एवं वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जावें।

बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी (वादीगण) ने निवेदन किया कि यह दावा रास्ते की घोषणा के लिए प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। रास्ता नहीं है पूर्व में भी विचाराधीन था अतः यह दावा मेन्टेनेबल है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवैध होकर खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र आदेश 7नियम 11 जा.दी. पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली का अवलोकन किया । वादी द्वारा यह वाद पत्र उनकी कृषि आराजीया में आने जाने के कदीमी सुखाधिकार पूर्ण गाडी गडार रास्ते को मौके पर बंद करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। हमारी विनम्र राय से यदि कदीमी रास्ते को अवरुद्ध किया जाता है तो उसके लिए 251 में प्रावधान बनाये गये है। साथ ही सुखाधिकार के तहत रास्ता सम्बन्धी वाद पत्र को सुने जाने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को ही है, हम अधिवक्ता प्रतिवादीगण (प्रार्थी) के कथन से सहमत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण अ०धा० आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.संहिता का स्वीकार किया जाता है। वादी का वादपत्र सुखाधिकार के तहत रास्ते सम्बन्धी होने से प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से वादी का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित) सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू